फर्द अहकाम

घासीलाल वगै0 बनाम सोनू मीना वगै0

प्रार्थना पत्र संख्याः 55/2024 II

क्रम संख्या	दिनांक	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	21.02.2024	वकील प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का पेश किया रिपोर्ट सरिस्ता तलब हो चुकी है। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के समर्थन में स्वयं का शपथ पत्र एवं विवादित आराजीयात के राजस्व रिकार्ड की छायाप्रतियाँ पेश की है। वकील प्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र पर सुना। पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। बहस वकील प्रार्थीगण व पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन करने पर, अप्रार्थीगण में किसी भी एक का जवाब पेश होने तक अप्रार्थीगण को जरिये अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वाके ग्राम जयसिंहपूरा बुहारिया, तहसील सांगानेर जिला जयपुर में स्थित खसरा नम्बर 100/2 का राजस्व रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखे। कोई आपत्ति हो तो हाजिर अदालत होकर पेश करे। पत्रावली दर्ज रजिस्टर हो, अप्रार्थीगण की तलवी जरिये रजिस्टर्ड नोटिस जारी होकर जारी होकर आदेश 39 नियम 3 की पालना में दिनांक 21.03.2024 को पेश हो। उप-खण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय	नोटिस जारी 1129-30 21/2/24
	21/3/2024	पत्रावली पेश हुई अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित नोटिस जारी होकर द्वितीय 8/5/2024 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर)	
	8/5/24	पत्रावली पेश हुई अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित अप्रार्थीगण को जारी जाप्ता व प्रतिलिपि रिपोर्ट पेश शामिल है पत्रावली में अप्रार्थी सग। बावजूद रजि नोटिस तामिल उपस्थित नहीं अगले विपक्ष कार्यवाही मुकदमा में लाने जारी हो पत्रावली तलबी बाद पेश हो द्वितीय 31/5/2024 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर)	